न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 410/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– कानाराम पुत्र कालुराम 2– गोपाराम पुत्र कालुराम 3– ओमाराम पुत्र कालुराम 4– सुराराम पुत्र कालुराम 5– सुखाराम पुत्र कालुराम जातियान जाट निवासीगण सिलारी, तहसील पीपाडशहर, जोधपुर 6– विजयसिह पुत्र मिश्रीलाल 7– सुगनसिह पुत्र मिश्रीलाल 8– तेजसिह पुत्र दोलाराम 9– माधोसिह पुत्र दोलाराम जातियान राजपुरोहित निवासी सिलारी तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर		तहसीलदार पीपाडशहर, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–11–2016 जो उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व अपील संख्या 540/2016 अनवान सरकार बनाम गुलाब वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21–11–2016 को तहसीलदार पीपाडशहर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का इस आशय का पेश किया कि ग्राम सिलारी के खसरा नंबर 356/3, 358, 354, 350, 327/1, 327 व 328 कुल रकबा 238.01 बीघा भूमि किस्म बारानी II मे मौके पर चले आ रहे कदीमी रास्ते के उपयोग मे आ रही भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना खातेदारान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–11–2016 पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को कोई सूचना दी और न ही सुनवाई का अवसर ही प्रदान

किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 327 व 328 मे से कोई कदीमी रास्ता नही चलता था और न ही रास्ता मौजुद है परंतु पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश करने के आधार पर बिना मौके की जांच के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट का खेत खसरा नंबर 327 व 328 ग्राम सिलारी के अंतिम सीमा के खेत है उसके बाद सिलारी गांव की सीमा समाप्त हो जाती है इसलिए उक्त खेत मे से रास्ता निकालने का कोई औचित्य नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब पटवारी हल्का हमारे खातेदारी के खेत की भूमि मे से रास्ता कटाण करने एवं रास्ता निकालने की बात बताई तो अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से अपीलांट ने यह अपील पेश धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–11–2016 को निरस्त करने तथा अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 327 व 328 मे से निकाले गये रास्ते का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि तहसीलदार के प्रार्थना पत्र के साथ मौका फर्द दिनांक 15–11–2016, लढठा ट्रेस तथा जगाबदी आदि की प्रतियों का अवलोकन करने के बाद जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीपाडशहर की ओर से दिनांक 21–11–2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्बत धारा 131, 132, 136 रा.भू.रा. अधिनियम एवं नियम 60 एच रा.भू.अभि.नियम 1957, रा.भ.नि. 1957 मे कदीमी रास्ते के उपयोग की भूमि की किस्म परिवर्तन व नक्शे मे तरमीम बाबत प्रस्तुत किया, जिसके सलंग्न राजकीय भूमि/ निजी खातेदारी भूमि पर स्थाई रूप से चालू परंतु राजस्व अभिलेख मे किसी भी रूप से दर्ज नही रास्ते की भूमि का विवरण, लट्ठा ट्रेस, मौका फर्द दिनांक 15–11–2016 तथा जमाबंदी संवत् 2068–2071 आदि की

प्रतियां प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पीपाडशहर के प्रस्ताव अनुसार बिना रेकर्डेड खातेदारो को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 21–11–2016 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि किसी भी खातेदार की खातेदारी की भूमि के संबंध मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करने से पूर्व खातेदार को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु वर्तमान मामले मे इस प्रकार की कोई प्रकिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही अपनाई जाना रेकर्ड से प्रकट होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 540/16 मे पारित आदेश दिनांक 21–11–2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को सुनकर पुनःनये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 21–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर